



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



23 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 117 राँची, शनिवार,

14 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

07 जनवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-11/2021 का० 111--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री उमाशंकर प्रसाद, से०नि० झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 588/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर के विरुद्ध जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1362, दिनांक 05.03.2021 के माध्यम से उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-57, दिनांक 22.01.2021 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

आरोप पत्र में श्री प्रसाद के विरुद्ध 20 करोड़ की राशि Union Bank से IDBI Bank में अंतरित करने का आदेश देने, पुनः 76 करोड़ की राशि IDBI Bank में अंतरित करने का आदेश देने, वित्त विभाग के पत्रांक-245/वि०, दिनांक 25.01.2019 का संज्ञान नहीं लेने, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी राशि नहीं रखने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश है, के बावजूद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संधारित खाते को बंद कर निजी बैंक IDBI Bank में खाता खोलने तथा वित्तीय प्रबंधन में मनमानापन एवं वित्त विभाग के द्वारा लिये गये निर्णय की अनदेखी एवं वित्त जैसे संवेदनशील मामले में भी उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प सं०-6027, दिनांक 27.10.2023 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-496, दिनांक 17.06.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप को आंशिक प्रमाणित माना जा सकता है, क्योंकि श्री प्रसाद के निर्णय से सरकार को वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है।

6. अतः दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः आगे जाँच करने का निर्णय लिया गया है।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री प्रसाद को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ।

8. श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-6027, दिनांक 27.10.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किये गये हैं।

10. श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

11. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री उमाशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव ।
